



उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता-अल्पसंख्यक कल्याण भवन बी0 ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास, अधोईवाला, देहरादून।

फोन/फैक्स नं० 0135-2975456 website www.ukmadarsaboard.org.in, email-ukmadarsaboard@gmail.com

पत्रांक 334 /उ.म.शि.प./अ.फा.परीक्षा-2025/2024-25
प्रेषक,

दिनांक 24 सितम्बर, 2024

निदेशक,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद,
देहरादून।

सेवा में,

ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा

संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल एवं फाज़िल परीक्षा वर्ष 2025 के आयोजन के सम्बन्ध रूपरेखा तैयार की गई है। उक्त परीक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश संसूचित किये गये हैं। अरबी फारसी परीक्षा वर्ष-2025 के परीक्षा फार्म दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा 01 नवम्बर, 2024 से 15 नवम्बर, 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ बोर्ड की वैबसाईट-www.ukmadarsaboard.org.in पर दिये गये लिंक से भरे जायेंगे।

1. मुंशी/मौलवी के संस्थागत फार्म भरने हेतु वही छात्र/छात्राएं पात्र होंगे जो गत वर्ष कक्षा-9 में उत्तीर्ण हों तथा संस्थागत के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। मुंशी/मौलवी परीक्षा के व्यक्तिगत फार्म भरने के सम्बन्ध में यह आवश्यक होगा कि परीक्षार्थी उर्दू/अरबी/फारसी में से किसी एक विषय के साथ कक्षा 8/कक्षा 10 उत्तीर्ण होने की अंक तालिका परीक्षा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 8 उपरान्त दो साल का अंतराल अनिवार्य है।
2. आलिम (अरबी फारसी) के संस्थागत फार्म हेतु वही छात्र/छात्राएं पात्र होंगे जो गत वर्ष अलिम (कक्षा-11) में उत्तीर्ण हों तथा संस्थागत छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। संस्थागत छात्रों को फार्म के साथ मुंशी या मौलवी का अंकपत्र लगाना अनिवार्य है। आलिम (अरबी फारसी) के व्यक्तिगत फार्म भरने हेतु वही छात्र/छात्राएं पात्र होंगे जो कक्षा-12 उर्दू/अरबी/फारसी में से किसी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा मुंशी/मौलवी परीक्षा उपरान्त एक वर्ष का अंतराल हो।
3. कामिल प्रथम वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा का फार्म भरने हेतु उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की आलिम/किसी बोर्ड अथवा प्रसिद्ध/प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय मदरसा से अरबी अथवा फारसी विषय के साथ इण्टर स्तर की परीक्षा पास की हो। संस्थागत अभ्यर्थियों हेतु कामिल एवं फाज़िल परीक्षा में गत वर्ष का पाठ्यक्रम जिस मदरसे एवं स्ट्रीम (अरबी अथवा फारसी) से किया गया है, वर्तमान वर्ष भी उसी मदरसे एवं स्ट्रीम से करना अनिवार्य होगा अर्थात् किसी भी परिस्थिति में मदरसा एवं स्ट्रीम परिवर्तित नहीं होंगे।
4. मदरसा पोर्टल (www.ukmadarsaboard.org.in) पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म भरने की ज़िम्मेदारी मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की होगी।

5. मान्यता प्राप्त मदरसे, मान्यता की शर्तों के अनुसार ही परीक्षा फार्म अग्रसारित करेंगे। मान्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या जिनके द्वारा परीक्षा फार्म भेजा जायेगा उनका यह दायित्व होगा कि अलग-अलग परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क अलग-अलग चालान के माध्यम से जमा करेंगे। भरे हुए परीक्षा फार्मों के साथ प्रत्येक परीक्षा की धनराशि का मूल चालान संलग्न कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे।
7. परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन होने के पश्चात सम्बन्धित मदरसे से अपने आवेदन पत्र के प्रिन्ट प्राप्त कर उस पर नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि/कक्षा का विवरण तथा गत परीक्षाफल के पूर्णांक व प्राप्तांक का मिलान करने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित मदरसे में जमा करना होगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का यह दायित्व होगा कि परीक्षा फार्म का अग्रसारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा फार्म भली-भांति स्पष्ट लिपि में भरे हुये हैं एवं निर्धारित स्थान पर फोटो अपलोड किया गया है।
8. मुंशी/मौलवी परीक्षा हेतु 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है अर्थात् परीक्षार्थी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 को 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो तथा अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा आवेदन करने हेतु वांछित अंतराल होना ज़रूरी है।
9. परीक्षार्थियों एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या से अपेक्षा की जाती है कि गत परीक्षा के विवरण में रोल नम्बर अंक भरते समय विशेष सावधानी बरती जाये।
10. मदरसे द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन फार्म भरने से पूर्व परीक्षार्थी के अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा आवेदन फार्म अग्रसारित किया जाये। गलत एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का होगा।
11. संकलित किये गये परीक्षा फार्म जांचोपरान्त, पोर्टल पर यूजर आईडी0 के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हुए की परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय हैड में जमा कर दिया गया है, ऑनलाईन फीड किये जायेंगे।
12. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा परीक्षा फार्म पूर्णरूपेण ऑनलाईन भरने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी हार्ड कॉपी से परीक्षार्थी का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि तथा परीक्षाफलों के पूर्णांक व प्राप्तांक का मिलान करने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन फार्म को लॉक करते हुये फाइनल प्रिन्ट आउट की एक हार्ड कॉपी मदरसे में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। जो कभी भी परिषद् कार्यालय द्वार मांगा जा सकता है।
13. फाज़िल एवं कामिल कक्षा को पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि कामिल के लिये 06 वर्ष एवं फाज़िल हेतु 04 वर्ष निर्धारित है।
14. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी अर्हता वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म कदापि अग्रसारित न किया जाये।
15. अन्य बोर्डों से उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी मदरसा बोर्ड से परीक्षा फार्म भर सकेंगे बशर्ते कि वह न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों (अर्थात् यदि परीक्षार्थी द्वार आलिम (अरबी फारसी) में आवेदन किया जा रहा है तो उसने हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उर्दू/अरबी/फारसी विषय में से एक विषय में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो तथा इसी प्रकार कामिल की परीक्षा हेतु परीक्षार्थी द्वारा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उर्दू/अरबी/फारसी में से अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो, परन्तु फाज़िल की परीक्षा के लिये मदरसा बोर्ड की कामिल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा) किन्तु ऐसे परीक्षार्थियों के फार्म मदरसे द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाये तथा उनके अभिलेखों की भली-भांति जांच पडताल कर ली जाये एवं गत परीक्षा का विवरण भरते समय निर्धारित कॉलम में अन्य बोर्ड (जैसे-माध्यमिक शिक्षा परिषद् आदि)

क विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। किसी भी सन्देह अथवा गलत जानकारी दिये गये आवेदन फार्म को परिषद् द्वारा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मदरसे का होगा।

16. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फार्मों का परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तथा ऐच्छिक (अख्तियारी) विषय पूर्ण रूप से भरा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है तथा चालान संख्या परीक्षावार फार्मों में भरी गई है या नहीं।
17. परीक्षा वर्ष-2025 हेतु संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र शुल्क अलग-अलग निम्न रूप से निर्धारित हैं:-

संस्थागत-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बालकों के लिये परीक्षा शुल्क (प्रतिछात्र)	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु0में) 3+5	विलम्ब शुल्क सहित योग (रु0में) 4+5	बालिकाओं के लिये परीक्षा शुल्क (प्रतिछात्र)	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु0में) 8+10	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क (रु0में) 9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मुंशी/	60/-	100/-	20/-	80/-	120/-	50/-	70/-	20/-	70/-	90/-
2.	मौलवी	70/-	120/-	20/-	90/-	140/-	60/-	80/-	20/-	80/-	100/-
3.	आलिम	80/-	140/-	20/-	100/-	160/-	70/-	90/-	20/-	90/-	110/-
4.	कामिल फाजिल	90/-	160/-	20/-	110/-	180/-	80/-	100/-	20/-	100/-	120/-

व्यक्तिगत :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मुंशी/	90/-	150/-	20/-	110/-	170/-	70/-	120/-	20/-	90/-	140/-
2.	मौलवी	110/-	190/-	20/-	130/-	210/-	80/-	130/-	20/-	100/-	150/-
3.	आलिम	130/-	230/-	20/-	150/-	250/-	90/-	150/-	20/-	110/-	170/-
4.	कामिल फाजिल	150/-	270/-	20/-	170/-	290/-	100/-	170/-	20/-	120/-	190/-

उक्त परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा परीक्षावार (मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, एवं फाजिल) अलग-अलग निम्न लेखाशीर्षक में दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2024 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा 01 नवम्बर, 2024 से 15 नवम्बर, 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।

लेखाशीर्षक:-0250-अन्य सामाजिक सेवायें

00 -

800- अन्य प्राप्तियां

02 - मदरसों से प्राप्तियां

03 -परीक्षा शुल्क

अपूर्ण परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/संस्था जिनके द्वारा अपूर्ण परीक्षा फार्म भेजा जायेगा, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

18. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्तर से भी परीक्षा की समय सारिणी एवं निर्देशों का प्रचार/प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराते हुए जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त/अनुदानित मदरसों के प्रधानाचार्यों की बैठक कर उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
19. ऐच्छिक विषय:-मुंशी/मौलवी-1. मैथ. 2. होम साइंस (केवल बालिकाओं हेतु), 3. माकूलात, 4. सोशल साइंस, 5. साइंस 6. तिब 7. संस्कृत आदि।

1. रोम साइंस (केवल बालिकाओं हेतु), 2. जनरल हिन्दी, 3. माकूलात, 4. तिब, 5. सोशल साइंस, 6. साइंस, 7. कम्प्यूटर 8. मैथ।

ऐच्छिक विषय:-कामिल अरबी/फारसी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु -1. सामान्य अंग्रेजी 2. कम्प्यूटर, 3. तारीख-ए-इस्लाम (कामिल अरबी/फारसी के विद्यार्थियों हेतु) 4. माकूलात 5. अरबी अदब (कामिल फारसी के विद्यार्थियों हेतु) 6. उर्दू अदब/फारसी अदब (कामिल अरबी के विद्यार्थियों हेतु)।

फाजिल प्रथम वर्ष एवं अन्तिम वर्ष-1. माकूलात, 2. अरबी अदब 3. फारसी अदब 4. दीनीयात।

भवदीय




% (राजेन्द्र कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन सं०: 334 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून।
5. परीक्षा में सम्मिलित समस्त मदरसे।



% निदेशक